मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर, 2009

क्रमांक – 1902/मप्रविनिआ/2009 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 45 (3) (बी) तथा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 24 नवम्बर, 2006 को अधिसूचित मध्यप्रदेश नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2006 को पुनरीक्षित करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009

प्रस्तावना :

यह जबकि आयोग द्वारा मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम 2006 (जी 31, वर्ष 2006) दिनांक 24.11.2006 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु इन विनियमों में कतिपय मुख्य परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव इन विनियमों को पुनरीक्षित किया जा रहा है ।

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ तथा व्याख्या :**

(i) ये विनियम ''**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 (आरजी–31(1), वर्ष 2009)**'' कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबधी अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

(iii) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

बशर्तें यह कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व विद्यमान विनियमों, यथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2006, जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार प्रभारों का भुगतान किया गया है, उन्हें उक्त विनियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा ।

अध्याय – 2

2. **परिभाषाएं**

(ए) ''**अधिनियम (Act)**'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) ;

(बी) ''**आवेदक (Applicant)**'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो कि एक परिसर का स्वामी अथवा अधिवासी है अथवा भवन निर्माता (बिल्डर), विकास अभिकरण (डेवलपर), समिति (सोसायटी)/प्रत्याशित उपभोक्ताओं का समूह है तथा जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(सी) ''**आयोग**'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(डी) ''**वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee)**'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो उसके प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्तायों को विद्युत प्रदाय हेतु एक वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण के लिये प्राधिकृत है ;

(ई) ''**वितरण प्रसंवाही (Distribution Main)**'' से अभिप्रेत है किसी प्रसंवाही का एक भाग जिसके साथ सेवा तन्तुपथ (लाईन) सीधे संयोजित है अथवा जिसे तत्काल संयोजित किये जाने का विचार है;

(एफ) ''**वितरण प्रणाली' (Distribution System)**'' से अभिप्रेत है पारेषण लाइनों के वितरण बिन्दुओं (डिलिवरी प्वाइन्ट्स) या विद्युत उत्पादक स्टेशन संयोजन (कनेक्शन) तथा उपभोक्ताओं के अधिष्ठापन के संयोजन बिन्दु के बीच तारों की प्रणाली तथा संबद्व सुविधाएं;

(जी) ''**विद्युत तन्तुपथ या लाईन (Electric Line)**'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई तन्तुपथ या लाईन जो कि किसी प्रयोजन से विद्युत संवाहन हेतु उपयोग किया जाता हो तथा इसमें सम्मिलित होंगे :

(i) ऐसे किसी तन्तुपथ (लाईन) हेतु कोई आलम्ब, जिसका अभिप्राय किसी संरचना, टावर, खम्भा (पोल) अथवा किसी वस्तु से है जिसके अन्दर, ऊपर, या द्वारा से है जिसके द्वारा ऐसा कोई तन्तुपथ आलम्बित किया गया, वहन किया गया अथवा लटकाया गया हो; एवं

(ii) विद्युत के संवाहन के प्रयोजन से ऐसे किसी तन्तुपथ से संयोजित कोई उपकरण ;

(एच) ''**विद्युत संयत्र' (Electrical Plant)**'' से अभिप्रेत है कोई संयत्र, उपकरण, यन्त्र अथवा साधन अथवा इसका कोई भाग जिसे विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा प्रदाय हेतु, प्रयोग में लाया जा रहा हो अथवा संयोजित किया गया हो तथा इसमें निम्न सम्मिलित नहीं होंगे :

i. एक विद्युत तन्तुपथ (लाईन) अथवा
ii. एक मीटर (मापयंत्र) जिसे किसी परिसर में विद्युत प्रदाय की मात्रा अभिनिश्चित किये जाने बाबत् उपयोग में लाया जा रहा हो; अथवा
iii. एक विद्युत उपकरण, यन्त्र अथवा साधन जो किसी उपभोक्ता के नियंत्रण में हो;

(आई) ''**अति उच्च दाब (Extra High Tension- EHT)"** से अभिप्रेत है 33,000 वोल्ट से अधिक का प्रदाय वोल्टेज;

(जे) ''**उच्च दाब (High Tension- HT)"** से अभिप्रेत है 650 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक का तथा सम्मिलित प्रदाय वोल्टेज;

(के) ''**केवी (KV)"** से अभिप्रेत है किलो वोल्ट ;

(एल) ''**निम्न दाब (Low Tension- LT)**'' से अभिप्रेत है 650 वोल्ट अथवा इस से कम का प्रदाय वोल्टेज;

(एम) ''**मप्रविसु अधिनियम**'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001);

(एन) ''**बहु–प्रयोक्ता कॉम्पलेक्स (Milti-user Complex)**'' से अभिप्रेत है एक भवन अथवा भवनों का समूह जो एक से अधिक संयोजनों से युक्त हैं;

(ओ) ''**निवेश क्षेत्र (Planning Area)" तथा** ''**विकास योजना (Development Plan)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे ''मध्य प्रदेश ग्राम तथा नगर निवेश अधिनियम, 1973'' में परिभाषित किया गया है;

(पी) ''**विद्युत प्रदाय का प्रारंभिक बिन्दु (Point of Commencement of Supply)"** से अभिप्रेत है निम्नदाब संस्थापनों के प्रकरणों में उपभोक्ता के परिसर में युक्त अनुज्ञप्तिधारी के कटआऊटों के बहिर्गामी अन्तक (टर्मिनल्स) तथा उच्चदाब सस्थापनों के प्रकरणों में किसी उपभोक्ता के उपकरण से पूर्व रखे गये अनुज्ञप्तिधारी के मापयन्त्र उपकरण के बहिर्गामी अन्तक (टर्मिनल्स);

(क्यू) ''**परिसर (Premises)"** में सम्मिलित होगी कोई भूमि, भवन अथवा संरचना;

(आर) ''**सेवा तन्तुपथ (Service Line)"** से अभिप्रेत है कोई विद्युत प्रदाय तन्तुपथ (लाईन) जिसके माध्यम से निम्न दर्शायों को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है अथवा किया जाना आशायित है :–

i. किसी एकल उपभोक्ता को एक वितरण प्रंसवाही (मेन) से अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी परिसर से सीधे; अथवा

ii. उसी परिसर में सीधे किसी वितरण प्रसंवाही (मेन) से किसी उपभोक्ता समूह को अथवा वितरण प्रसंवाही के उसी बिन्दु से संस्पर्शी परिसरों में ।

(एस) ''**शॉपिग मॉल (Shopping Mall)**'' से अभिप्रेत है एक बहुमंजिला बाजार केन्द्र, जो पैदल भ्रमण करने वालों हेतु मार्ग तक सीमित समावृत है तथा जिनमें स्वतंत्र खुदरा स्टोर्स का समूह, सेवाएं तथा वाहनों हेतु पार्किंग क्षेत्र किसी इकाई के रूप में किसी प्रबंधन संस्थान/विकास अभिकरण द्वारा निर्मित तथा संधारित किये जाते हैं;

(टी) ''**मानक/प्रचलित दर–अनुसूची (Standard/Current Schedule of Rates)"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार की गई तथा नियतकालिक प्रकाशित की गई दर–अनुसूची;

प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि इनके लिये विद्युत अधिनियम, 2003 में इनके लिये प्रयुक्त हैं । इन विनियमों तथा अधिनियम में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में, इन के लिये अधिनियम में नियत किये गये अर्थ ही प्रचलित होंगे ।

व्याख्या :

इन विनियमों की व्याख्या में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) एक वचन अथवा बहुवचन शब्द, यथा प्रसंग, क्रमशः बहुवचन अथवा एक वचन शब्द भी माने जाएंगे ।

(ख) शब्दों ''सम्मिलित'' अथवा ''सम्मिलित किये गये'' को ''बिना किसी परिसीमा'' अथवा '' परन्तु किसी परिसीमा के अर्न्तगत नहीं'' अनुसरण किया गया माना जाएगा भले ही ऐसे शब्दों के उपरान्त ऐसे वाक्यांश अथवा मिलते–जुलते आयातित शब्द जुड़े हों ।

(ग) यहां ''विनियम'' से किये गये संदर्भों को इन विनियमों के संदर्भ में समझा जाएगा जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा प्रयोज्य प्रचलित विधि द्वारा समय–समय पर संशोधित अथवा परिवर्तित किया गया हो ।

(घ) शीर्षकों को सुविधा हेतु अन्तर्स्थापित किया गया है तथा इनका अर्थ विनियमों की व्याख्या के प्रयोजन से प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(ड़) किन्ही संस्थापित अधिनियमों, विनियमों अथवा मार्गदर्शन के संदर्भ में समस्त उपबन्ध ऐसे अधिनियमों, विनियमों अथवा मार्ग दर्शन जैसा कि इन्हें समेकित, संशोधित अथवा परिवर्तित किया गया है, को सम्मिलित कर समझे जाएगे, जैसा कि प्रकरण अथवा संदर्भ लागू हो ।

अध्याय – 3

सामान्य :

(i) इन विनियमों के अर्न्तगत आवेदक/उपभोक्ता से प्रभार, उनकी प्रयोज्य सीमा के अर्न्तगत, वसूली योग्य होंगे।

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदक/उपभोक्ता से इन विनियमों के अर्न्तगत केवल आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों की वसूली अग्रिम रूप से नवीन उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने अथवा विद्यमान संयोजन में भार वृद्धि के प्रयोजन हेतु ही कर सकेगा। इन प्रभारों का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर ही संयोजन प्रदान किया जाएगा ।

(iii) भार की वृद्धि के प्रकरण में, विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) की गणना कुल भार हेतु प्रयोज्य प्रभारों में से तत्संबंधी खण्ड (स्लैब) के अन्तर्गत भार वृद्धि से पूर्व विद्यमान भार को प्रयोज्य प्रभारों को घटाकर की जाएगी जैसा कि विनियमों में प्रावधानित किया गया है ।

(iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत भार का पूर्वानुमान आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता, जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया हैं, में प्रावधानित अनुसार किया जाएगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न दाब पर कुल मांग किया गया भार विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो।

(v) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(vi) मीटर तथा मीटर उपकरण के संस्थापना/सुरक्षित अधिष्ठापन हेतु वांछित भूमि/कमरा आवेदक(ों) द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा, जिसके लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी किराये अथवा अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान नहीं किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था केवल उसी दशा में करेगा, जबकि उपभोक्ता द्वारा इस हेतु स्थान उपलब्ध करा दिया जाए ।

(vii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी वितरण प्रणाली का विकास तथा संधारण करना तथा अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विद्युत प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।

(viii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सार्वजनिक भूमि, पर सेवा लाईन (शिरोपरि लाईन अथवा भूमिगत केबल जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये मापदण्डों के अनुसार उपयुक्त समझा जाए) सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) स्थापित करेगा ।

(ix) सम्पूर्ण वितरण नेटवर्क जिसमें सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) भले ही जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई हो, समस्त प्रयोजन के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित किया जाएगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी को टेपिंग द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अथवा अन्यथा विद्युत प्रदाय किये जाने बाबत् नेटवर्क के उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा सिवाय यदि इस प्रकार किया गया विद्युत प्रदाय उपभोक्ता जिसके द्वारा ऐसे नेटवर्क की पूर्ण लागत वहन की गई है तथा उससे संयोजित हो, हेतु हानिकर न हो।

(x) इन विनियमों के अर्न्तगत विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूली योग्य प्रभारों का वर्णन निम्न भागों में किया गया है :

(क) निम्न दाब घरेलू उपभोक्तायों हेतु,
   (अ) वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता (उन उपभोक्ताओं को असम्मिलित करते हुए जो बहु–प्रयोक्ता काम्पलेक्स अथवा आवासीय कालोनी में स्थित हैं)
   (ब) घरेलू उपभोक्ता जो बहु–प्रयोक्ता (Multi-user) कॉम्पलेक्स अथवा नवीन आवासीय कालोनी में स्थित हैं।

(ख अन्य निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु,
   (अ) गैर–घरेलू शॉपिंग मॉल/कॉम्पलेक्स, सम्मिलित कर तथा औद्योगिक एवं अन्य निम्न दाब उपभोक्ता, जो अन्यत्र सम्मिलित नहीं हैं ।
   (ब) जलप्रदाय संयत्र (वाटर वर्क्स)
   (स) पथ–प्रकाश (स्ट्रीट लाईट)
   (द) कृषि

(ग) अति उच्चदाब/उच्चदाब की समस्त श्रेणियों हेतु

(घ) सुसंबद्ध राज्य शासन विनियमों के अर्न्तगत विकसित कालोनियों/अमिन्यासों को विद्युत प्रदाय हेतु जिन्हें अभी तक विद्युतीकरण की लागत जमा न किये जाने के कारण विद्युतीकृत नहीं किया जा सका है (केवल विद्यमान कालोनियों हेतु लागू तथा नवीन कालोनियों हेतु लागू नहीं)

(ड़) अनिवेशित (Unplanned)/असंगठित बस्तियों (Unorganised Habitations) तथा क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय हेतु

(च) 100 अश्वशक्ति से अधिक निम्न–दाब संयोजनों को उच्च–दाब में, परिवर्तन किया जाना

अध्याय–4

4.1 (क) निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु,

(अ) वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता (उन उपभोक्ताओं को असम्मिलित करते हुए जो बहु–प्रयोक्ता काम्पलेक्स अथवा आवासीय कालोनियों में स्थित हैं) :

4.1.1 (i) आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदक को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से अन्तक (टर्मिनल) पोल जिसमें निम्न दाब विद्युत प्रवाहित है, यदि वह सन्निहित हो, तक विद्युत तन्तुपथ (लाईन) आवेदक/उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। उच्च दाब तन्तुपथ (लाईन)/वितरण ट्रांसफार्मर यदि वह आवश्यक हो, की संसथापना वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी स्वयं की लागत पर की जाएगी । उपभोक्ता को सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) को अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों के अनुसार किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अपनी स्वयं की लागत पर स्थापित करना होगा।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्वेच्छानुसार सेवा तन्तुपथ, अर्थात संयोजन प्रदान करने हेतु, संवाहक(कण्डक्टर)/ केबल/भूमिगत केबल का प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा । सामान्यतः, इस प्रकार के सेवा–तन्तुपथ (सर्विस लाईन) की लम्बाई 30 मीटर से अधिक न होगी । तथापि, अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्वेच्छानुसार ऐसे घरेलू संयोजन हेतु 45 मीटर तक की अनुमति प्रदान कर सकेगा बशर्ते यह कि उपभोक्ता ऐसे सेवा तन्तुपथ में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर व्यास का सेवा तन्तुपथ उपयोग करने की सहमति प्रदान करे ।

4.1.2 निम्न दाब तन्तुपथ की लागत के अतिरिक्त, जहां–जहां यह लागू हो तथा जहां इसे उपरोक्त विनियम 4.1.1 में विनिर्दिष्ट किया गया हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्न प्रभारों को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) के रूप में वसूली किये जाने बाबत् प्राधिकृत होगा :

सरल क्रमांक	प्राक्कलित भार	सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) की लागत पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर (जिसमें आवेदन प्रपत्र की कीमत, अनुबंध शुल्क तथा प्रतिभूति निक्षेप सम्मिलित न होंगें)
i	गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं ।	रू. 5
ii	3 किलोवॉट (एकल फ़ेंज) तक के समस्त उपभोक्ता, उपरोक्त (i) में दर्शाये गये उपभोक्ताओं को असम्मिलित कर	रू. 200 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
iii	3 किलोवॉट (तीन फेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 600+ रू. 600 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसके किसी अंश हेतु जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो
iv	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 4,800+ रु. 1,500 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो
v	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 27,300+ रु. 2,500प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो

(ब) ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं हेतु जो बहु–प्रयोक्ता काम्पलेक्स (मल्टी यूजर काम्पलेक्स) अथवा सुसंगत राज्य शासन विनियमों के अर्न्तगत विकसित नवीन आवासीय कालोनियों में स्थित हों

4.1.3 (i) राज्य शासन के विनियम, यथा ''मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अर्न्तगत विकसित एक कालोनी में आवासीय/घरेलू उपयोग हेतु अथवा ''मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000'' के अर्न्तगत परिभाषित भवन की विद्युत प्रदाय व्यवस्था हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी कालोनी के अनुमोदित

अभिन्यास (ले–आऊट) के अन्तर्गत भूखण्ड/अपार्टमेंटों की संख्या तथा आकार अथवा अपार्टमेंट/काम्पलेक्स के अनुमोदित भवन नक्शे के अनुसार, यथास्थिति, भार का प्राक्कलन करेगा।

(ii) ऐसी कालोनियां तथा भवनों की विद्युत प्रदाय व्यवस्था हेतु वांछित विस्तार कार्य की लागत में बहु–प्रयोक्तता काम्पलेक्स के प्रकरण में मीटरिंग के सामान्य बिन्दु तक उच्च दाब तन्तुपथ (लाईन) (10000 केवीए तक भार हेतु)/अति उच्च दाब तन्तुपथ (लाईन) (10,000 केवीए से अधिक भार हेतु), 33/11 केवी उपकेन्द्र (2000 किलोवॉट से अधिक भार हेतु)/वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कालोनियों के प्रकरण में) निम्न दाब तन्तुपथ (लाईन)/केबल, निम्न दाब वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) के अन्तक खंबे (टर्मिनल पोल) तक का व्यय आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा ।

(iii) विद्युत प्रदाय की व्यवस्था पर्याप्त क्षमता वाले पृथक वितरण उपकेन्द्र के माध्यम से की जाएगी । तथापि, यदि काम्पलेक्स/कालोनी का संयुक्त भार 2000 किलोवॉट से अधिक न हो तो प्रणाली विकास लागत (System Development Cost) हेतु प्रभार रू. 500 प्रति किलोवॉट की दर से अधिरोपित किये जाएंगे। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा 33/11 केवी उपकेन्द्र की संस्थापना हेतु प्रभारों के भुगतान नहीं करने होंगे । यदि काम्पलेक्स/कालोनी का संयुक्त भार 2000 किलोवॉट से अधिक हो तो वांछित क्षमता के आवेदक(ों) को 33/11 केवी उपकेन्द्र की संस्थापना हेतु प्रणाली विकास के प्रति प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

(iv) आवेदक(ों) को या तो वांछित अधोसंरचना [जिससे अभिप्राय उच्च दाब/अति उच्च दाब तन्तुपथ, (लाईन), पावर/वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा अन्तक खंबे तक (टर्मिनल पोल) निम्न दाब, तन्तुपथ मय संबंद्ध उपकरणों से है] को स्वयं द्वारा एक अनुज्ञप्ति प्राप्त (Licensed) ठेकेदार से, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी को अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से आवेदक(ों) की लागत पर संस्थापित किये जाने का विकल्प होगा । आवेदक(ों) द्वारा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) के व्यय भी वहन करेगा जो उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों (Specifications) के अनुसार संस्थापित की जाएगी ।

4.1.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी वैयक्तिक उपभोक्ता से विनियम 4.1.3 (ii) तथा (iii) में प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त, निम्न प्रभारों को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) के रूप में वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

सरल क्रमांक	प्राक्कलित भार	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर (जिसमें आवेदन प्रपत्र की कीमत, अनुबंध शुल्क तथा प्रतिभूति निक्षेप सम्मिलित न होंगें)
i	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 20 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
ii	3 किलोवॉट (तीन फेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 60+ रु. 60 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 3 किलोवाट से अधिक हो
iii	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 480+ रु. 150 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो
iv	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 2,730+ रु. 250 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो

(ख) अन्य निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु :

(अ) गैर–घरेलू (शापिंग मॉल/काम्पलेक्स को सम्मिलित कर) तथा औद्योगिक उपभोक्ता एवं अन्य निम्न दाब उपभोक्ता, जो अन्यत्र सम्मिलित नहीं है :

4.2.1 (i) किसी गैर–घरेलू उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु, प्राक्कलित भार वह लिया जाएगा जैसा

कि इसे वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा घोषित किया गया हो । तथापि, किसी बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स में गैर–घरेलू उपभोक्ता(ओं) को, शांपिग मॉल सम्मिलित कर, विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार का प्राक्कलन अपार्टमेंट/कॉम्पलेक्स के भवन नक्शे के अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर भूखण्ड (प्लाट) अथवा अपार्टमेंट के आकार के आधार पर करेगा ।

(ii) उपरोक्त आधार पर प्राक्कलित भार या ऐसे काम्पलेक्सों में आवेदक(ों) द्वारा घोषित भार का योग, इनमें से जो भी अधिक हो, को अपार्टमेंट/काम्पलेक्स को विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की वसूली हेतु माना जाएगा ।

4.2.2 (अ) किसी वैयक्तिक गैर–घरेलू अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय हेतु, उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही हेतु वांछित निम्न दाब तन्तुपथ (लाईनें) को उपभोक्ता की लागत पर स्थापित किया जाएगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा उच्च दाब तन्तुपथ (लाईन) अपनी स्वयं की लागत पर संस्थापित करने की व्यवस्था करेगा ।

(ब) उपभोक्ता सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) संस्थापित करने का व्यय स्वयं वहन करेगा । उपभोक्ता वांछित निम्न दाब तन्तुपथ अथवा सेवा तन्तुपथ स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों (Specifications) के अनुसार किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से प्रचलित दर–अनुसूची (Current Schedule of Rates) के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत की 5 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा अथवा अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान द्वारा करा सकेगा ।

(स) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर–घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, से विनियम 4.2.2 (अ) में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधो–संरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

स.क्र.	मांग किया गया भार (Requisitioned Load)	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर (आवेदन पत्र की लागत, अनुबंध शुल्क तथा प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर)
i	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 300/– प्रति किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश
ii	3 किलोवॉट (तीन फेस) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 900 + रू. 900 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 3 किलोवाट से अधिक हो
iii	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 7,200 + रू. 2,250 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 10 किलोवाट से अधिक हो
iv	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75किलोवॉट से अनाधिक	रू. 40,950 + रू0 3750 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 25 किलोवाट से अधिक हो

4.2.3 (अ) गैर–घरेलू बहु–प्रयोक्ता काम्पलेक्स/शांपिग मॉल को विद्युत प्रदाय हेतु, आवेदक(ों) को वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तक प्रवेशी उच्च दाब तन्तुपथ, उपभोक्ता के वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र(ों) तथा वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यून मेन्स) तक निम्न दाब तन्तुपथ/केबल की लागत वहन करनी होगी ।

उपभोक्ता को या तो अपने स्वयं की वांछित अधोसंरचना उसके स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों के अनुसार एक अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत की 5 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा निर्माण करने अथवा अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान उपरान्त कार्य संपादन का विकल्प होगा ।

(ब) (i) यदि काम्पलेक्स/शांपिंग मॉल का संयुक्त भार 2000 किलोवाट से अधिक न हो तो प्रणाली विकास लागत (System Development Cost) हेतु प्रभार रू. 500 प्रति किलोवाट की दर से अधिरोपित किये जाएंगे ।

(ii) यदि काम्पलेक्स/शांपिंग मॉल का संयुक्त भार 2000 किलोवाट से अधिक हो तो ऐसी दशा में आवेदक(ों) को प्रणाली विकास हेतु वांछित क्षमता के 33/11 केवी उपकेन्द्र की संस्थापना हेतु प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

(स) वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैर–घरेलू (बहु–प्रयोक्ता काम्पलेक्स/शॉपिंग मॉल) उपभोक्ताओं से विनियम 4.2.3 (अ) तथा (ब) में उल्लेखित प्रयोज्य प्रभारों तथा अधो संरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु भी प्राधिकृत होगा :

स.क्र.	मांग किया गया भार (Requisitioned load)	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर (आवेदन पत्र की लागत, अनुबंध शुल्क तथा प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर)
i	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 30/– प्रति किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश
ii	3 किलोवॉट (तीन फेस) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 90 + रू. 90 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 3 किलोवाट से अधिक हो
iii	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 720 + रू. 225 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 10 किलोवाट से अधिक हो
iv	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75किलोवॉट से अनाधिक	रू. 4,095 प्रति किलोवॉट +रू0 375 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 25 किलोवाट से अधिक हो

(ब) निम्न–दाब जलप्रदाय संयन्त्रों (Water works) हेतु :

4.2.4 (i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी जल प्रदाय संयंत्र हेतु विद्युत प्रदाय संबंधी कार्य, जिनमें 11 केवी/निम्न दाब तन्तुपथ (लाईन) तथा वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र सम्मिलित होंगे, हेतु प्रचलित दर–अनुसूची (शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार प्राक्कलन तैयार करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्य का संपादन आवेदक के अनुरोध पर उसके द्वारा 11 केवी लाईन, वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) तक निम्न दाब तन्तुपथ (लाईनों) की लागत जमा किये जाने पर कर सकेगा अथवा वह आवेदक को कार्य के संपादन हेतु किसी अन्य अनुमोदित अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगा, जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रचलित दर अनुसूची पर आधारित प्राक्कलन लागत की 5 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा । उपभोक्ता सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) संबंधी व्ययों को वहन करेगा जिसे कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवा तन्तुपथ की लागत की सम्पूर्ण वसूली उपरांत ही उसे स्थापित तथा क्रियाशील किया जाएगा।
(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) प्रभारों को रू 200 प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश की दर से ग्राम पंचायतों तथा रूपये 350 प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की दर से अन्य प्रकरणों में वसूल करेगा ।

(स) पथ–प्रकाश व्यवस्था (Street Lights) हेतु :

4.2.5 (i) सार्वजनिक स्थलों पर तथा विकास प्राधिकरणों/गृह निर्माण मण्डलों/न्यास मण्डल (बोर्ड)/नगरपालिक निगमों/ नगरपालिकायों /नगर पंचायतों/ग्राम पंचायतों तथा ऐसे अन्य प्राधिकरणों/निकायों के स्वामित्व वाले अधिसूचित क्षेत्रों में, पथ प्रकाश (नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक लैम्पं) हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर–अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार तैयार गये गये प्राक्कलनों की लागत की वसूली उपरान्त ही की जाएगी। वैकल्पिक तौर पर, आवेदक एक अनुमोदित अनुज्ञप्ति–प्राप्त ठेकेदार/एजेन्सी के माध्यम से कार्य सम्पादन करा सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के रूप में भुगतान करेगा ।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) को रू 200 प्रति किलोवॉट, अथवा उसके किसी अंश की ग्राम पंचायत के प्रकरण में तथा रूपये 350 प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की दर से अन्य प्रकरणों में वसूल करेगा ।

(द) कृषि

4.2.6 कृषकों के सिंचाई पंप सेट्स हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय व्यवस्था, प्राप्त मांग–पत्र पर दक्ष वितरण प्रणाली के संचालन हेतु निम्न दाब तन्तुपथ प्रदान किये जाने संबंधी लागत में, वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की लागत तथा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) को जोड़कर, उसकी वसूली उपरांत की जाएगी ।

(स) अतिरिक्त उच्च–दाब / उच्च–दाब की समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताः

4.3.1 यदि किसी उपकेन्द्र में नवीन बे, उपकेन्द्र से उच्च दाब तन्तुपथ (लाईन) (33 केवी अथवा इससे कम के उपभोक्ताओं हेतु) अथवा उच्च दाब तन्तुपथ (33 केवी से अधिक के उपभोक्ताओं हेतु) अथवा विद्यमान अति उच्च दाब / उच्च दाब तन्तुपथ के विस्तार हेतु अथवा आवेदक के मीटरीकरण बिन्दु तक विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु तन्तुपथ का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उच्चदाब (33 केवी तन्तुपथ तथा इससे कम हेतु) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अति उच्च दाब (132 केवी लाईन अथवा इससे अधिक हेतु) के प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के समन्वयन से प्रचलित दर–अनुसूची (करंट शेड्यूल आफ रेट्स) के उपरोक्त कार्यों हेतु एक प्राक्कलन तैयार करेगा तथा इसे आवेदक को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान हेतु उपलब्ध करायेगा । इस प्रकार संग्रहित की गई राशि को अति उच्च दाब के प्रकरण में (132 केवी लाईन तथा इससे अधिक हेतु) तत्पश्चात पारेषण कंपनी को कार्य के संपादन हेतु अंतरित कर दिया जाएगा ।

4.3.2 उपरोक्त के अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) संविदा मांग के रूपये 750 प्रति केवीए अथवा उसके किसी अंश की दर से भुगतान योग्य होंगे ।

4.3.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक से, यथोचित प्राक्कलित राशि तथा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों को जमा कराये जाने तथा अनुबन्ध के निष्पादन पश्चात ही कार्य को सम्पादित करेगा । वैकल्पिक तौर पर, आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे पर्यवेक्षण प्रभार कार्य की प्राक्कलित राशि के 5% की दर से जमा किये जाने बाबत् अनुज्ञेय किया जाएगा तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों के जमा किये जाने पर आवेदक द्वारा कार्य किसी अनुमोदित अनुज्ञप्ति–प्राप्त ठेकेदार / एजेन्सी के माध्यम से सम्पादित कराया जा सकेगा ।

बशर्ते यह कि जहां ऐसे कार्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु निष्पादित किये गये हों तथा जिनका भुगतान ऐसे अस्थाई विद्युत प्रदाय चाहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अस्थाई विद्युत प्रदाय व्यवस्था के विच्छेद किये जाने के समय तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी सुविधाएं वापस किये जाने के समय ऐसे कार्यों की अवमूल्यित कीमत तथा अन्य रद्दी सामग्री की कीमत (स्क्रेप वैल्यू) का आकलन (क्रेडिट) प्राप्त कर सकेगा ।

(घ) सुसंबद्ध राज्य शासन विनियमों के अर्न्तगत विकसित कालोनियों / अभिन्यासों को विद्युत प्रदाय हेतु जिन्हें अभी तक विद्युतीकरण की लागत जमा न किये जाने के कारण विद्युतीकृत नहीं किया जा सका है (केवल इस विनियम की अधिसूचना दिनांक को विद्यमान कालोनियों हेतु लागू तथा नवीन कालोनियों हेतु लागू नहीं)

4.4.1 पूर्व में कुछ क्षेत्रों में कुछ आवासीय कालोनियां, विकास अभिकरण (डेवलपर) / भवन निर्माता (बिल्डर) / समिति (सोसाईटी) / उपभोक्ता संगठनों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युतीकरण की लागत जमा न किये जाने के कारण बिना विद्युतीकरण हुए छूट गई थीं । अतः इन क्षेत्रों के निवासियों को दीर्घ अवधि के लिये विद्युत प्राप्ति हेतु अस्थाई संयोजन प्राप्त करने आवश्यक होते हैं । इससे ऐसे उपभोक्तायों को काफी कष्ट होता है। अतएव, उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ता जो नवीन संयोजन के इच्छुक हों, की कठिनाईयों के निवारण हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे आवेदक हेतु ऐसी अविद्युतीकृत आवासीय कालोनियों में विद्युत प्रदाय के विस्तार के लिये आवश्यक अधोसंरचना के सृजन हेतु, निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगाः

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण गैर–विद्युतीकृत क्षेत्र में/बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स/कालोनी में अधोसंरचना स्थापित किये जाने हेतु भार तथा प्रभारों को प्रचलित दर–अनुसूची (Current Schedule of Rates) के आधार पर प्राक्कलन तैयार करेगा। तथापि, गैर–विद्युतीकृत/बहु उपभोक्ता कॉम्पलेक्स/कालोनी हेतु भार आकलन के मापदण्ड पर विचार के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय संहिता, जैसा कि वह समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार लागू हो, का परामर्श लिया जा सकेगा।

(ii) प्रवर्तक (प्रोमोटर)/भवन निर्माता (बिल्डर) अथवा आवेदक(ों) को एक ऐसा प्राक्कलन प्रदाय किया जाएगा जिन्हें कि प्राक्कलित राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमा करनी होगी ।

अथवा

आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों को जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों की संपूर्ण राशि जमा किये जाने पर ही, आवेदक द्वारा कार्य का सम्पादन किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार/एजेन्सी से कराया जा सकेगा । तथापि, ऐसे प्रकरणों में, कालोनी के आंशिक कार्य को भारित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ।

अथवा

आवासीय कालोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा निम्न दर्शाई गई राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास कालोनी के विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा कराई जा सकेगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र के विद्युतीकरण का कार्य, उक्त कार्य हेतु जो आवासीय कालोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता से प्राप्त की गई हो, आंशिक विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ कर सकेगा । उपभोक्ता के स्वामित्व वाले क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के उपरान्त, उपभोक्ता द्वारा स्थाई संयोजन प्राप्त किया जाएगा । उपभोक्ता को अपने स्वयं के व्यय पर उसके परिसर को सेवा तन्तुपथ (लाईन) स्थापित करने व्यवस्था करनी होगी।

सरल क्रमांक	विवरण	कालोनी की सम्पूर्ण विद्युतीकरण व्यवस्था की प्रत्याशा में देय प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट)
1.	कालोनी का प्राक्कलित भार 2,000 किलोवॉट से अधिक न होने पर	रू. 3,000
2.	कालोनी का प्राक्कलित भार 2,000 किलोवॉट से अधिक होने पर	रू. 4,000

(iii) यदि किसी विद्युतीकृत कालोनी के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तथा विस्तारित क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना हो तो ऐसी दशा में विकास अभिकरण (डेवलपर)/भवन निर्माता (बिल्डर) समिति (सोसायटी)/उपभोक्ताओं का संघ (एसोसियेशन)/उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विस्तारित क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के स्वामित्व वाले विस्तारित क्षेत्र हेतु उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति उपरान्त ही विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges), जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में निर्दिष्ट किया गया है, जमा करने होंगे ।

(ड़) अनिवेशित (Unplanned)/असंगठित बस्तियों (Unorganised Habitants) जैसे क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय हेतु

4.5.1 उपरोक्त उपश्रेणी में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :

(i) अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्र (Notified Slum Areas)

(ii) अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्र (Other that notified Slum Areas)
(iii) घोषित की गई अवैध कालोनियां (Declared illegal Colonies)
(iv) असंगठित बस्तियां (Unorganised Habitations)

4.5.2 उपरोक्त क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों की पहचान नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से प्राप्त की गई सूची के आधार पर करेगा तथा इनके लिये क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा । संयोजित भार का आंकलन विद्युत प्रदाय संहिता, 2004, जैसा कि इस समय–समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार किया जाएगा ।
(ii) उपरोक्त प्राक्कलनों के आधार पर प्रति किलोवॉट विद्युतीकरण (केवल निम्न दाब तन्तुपथ तथा ट्रांसफार्मर हेतु) की लागत की घोषणा की जाएगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे वृहद प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा । उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युतीकरण की लागत रू. 3,000 प्रति किलोवाट से अधिक न होगी ।
(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सांसद/विधान सभा सदस्य/भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार/आश्रय निधि अनुसूचित जाति उपयोजना/अनुसूचित जनजाति उपयोजना/जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), आईएचएसडीपी, एमपीयूएसपी(डीएफआईडी) आदि जैसी योजना से प्राप्त निधि का उपयोग कर सकेगा तथा उक्त सीमा तक उपरोक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्राक्कलित राशि को आकलित (क्रेडिट) कर सकेगा ।
(iv) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त क्षेत्र के लिये, जिसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जा चुका हो, कार्य विभागीय तौर पर प्रारंभ किया जाएगा ।
(v) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं से प्राप्त किया गया भुगतान केवल उनके कार्य हेतु उपयोग किया जाए । इसका अनुवीक्षण (मानीटरिंग) एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर मुख्य अभियंता के स्तर से कम न होगा ।
(vi) ऐसी दशा में जहां उपभोक्ता उपरोक्त दर्शाई गई राशि को उक्त वर्ष में जिसके अन्तर्गत इसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया हो, जमा नहीं करता है तो उपभोक्ता को आवेदन करते समय उपरोक्त (ii) में दर्शायेनुसार विद्युतीकरण की लागत में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके किसी अंश को जोड़कर राशि जमा करनी होगी ।
(vii) उपरोक्त के अतिरिक्त वैयक्तिक उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है, जमा करने होंगे ।

(च) 100 अश्वशक्ति से अधिक निम्न दाब संयोजनों को उच्च दाब में परिवर्तन किया जाना

4.6.1 100 अश्वशक्ति (75 किलोवॉट) से अधिक संयोजित भार के विद्यमान निम्न–दाब संयाजनों के प्रकरणों में, जो कि उच्च–दाब संयोजनों में, उपभोक्ता के परिसर में स्थान उपलब्ध न होने के कारण, स्वयं के ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु, परिवर्तित नहीं किये जा सके हों, वहां पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उच्च–दाब संयोजन, अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले ट्रांसफार्मर से जो कि उपभोक्ता परिसर से बाहर कहीं भी स्थित हो, निम्न–लिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर उपलब्ध कराएगा :

ए. उपभोक्ता, परिवर्तन के समय, प्रचलित दर–अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की प्राक्कलित लागत में से पूर्व में भुगतान की गई ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की लागत को घटाकर भुगतान करेगा ।

बी. ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र का सामान्य संधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा जिस हेतु उपभोक्ता को संधारण प्रभारों का भुगतान विनिर्दिष्ट दरों पर करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान ट्रांसफार्मर को उचित क्षमता द्वारा प्रतिस्थापित/परिवर्तित कर सकेगा यदि इसे उपभोक्ता की संविदा मांग को दृष्टिगत रखते हुए हुए बदला जाना आवश्यक हो। आवर्धन की लागत उपभोक्ता द्वारा देय होगी ।

सी. वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्तक खंबे (टर्मिनल पोल) से निम्न–दाब केबल उपभोक्ता के परिसर में संयोजन बिन्दु तक स्थापित करेगा जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

डी. उपभोक्ता उच्च–दाब प्रदाय हेतु अनुबन्ध का निष्पादन करेगा।

ई. ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल विशिष्ट उच्च–दाब उपभोक्ता हेतु ही किया जाएगा। ट्रांसफार्मर तथा उससे संबद्ध उपकरणों के असफल हो जाने की दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इसे बदलना होगा तथा इसे बदले जाने की लागत केवल उपभोक्ता द्वारा ही वहन की जाएगी।

एफ. उपभोक्ता का मीटरीकरण उच्च–दाब पक्ष की ओर किया जाएगा जिसे कि बिलिंग मापयन्त्र (मीटर) माना जाएगा। उपभोक्ता परिसर, में निम्न–दाब पक्ष की ओर एक ट्राईवेक्टर/बाईवेक्टर जांच मापयन्त्र (चेक मीटर) का अधिष्ठापन किया जाएगा जिसका वाचन प्रत्येक बार उच्च–दाब मापयन्त्र के साथ–साथ किया जाएगा । उपभोक्ता परिसर में स्थापित निम्न–दाब मापयन्त्र के बचाव तथा सुरक्षा के लिये भी उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी रहेगा ।

जी. उपभोक्ता को उच्च–दाब मीटर/मीटर उपकरण के लिये ही केवल मीटरिंग प्रभार का भुगतान करना होगा तथा जांच मीटर (निम्न–दाब मीटर) हेतु किसी प्रकार का मीटरिंग प्रभार प्रभारित नही किया जाएगा ।

एच. ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ता का पोषण विद्यमान ट्रांसफार्मर जिसमें एक से अधिक संयोजन हों, से किया जा रहा हो, अनुज्ञप्तिधारी एक पृथक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर संस्थापित करेगा जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी तथा जिस हेतु उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी । उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी के साथ उपरोक्त दर्शाई गई विशेष कण्डिका सहित एक उच्चदाब अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

अध्याय – 5

5.0 उपभोक्ता से वसूली योग्य अन्य प्रभार :

5.1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45(3)(बी) के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्तायों से किराया अथवा अन्य प्रभार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी विद्युत मापयन्त्र अथवा विद्युत संयत्र के संबंध में वसूल कर सकेगा । तदनुसार, आयोग संलग्न परिशिष्ट के अनुसार मीटरिंग प्रभार तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची अधिसूचित करता है ।

अध्याय – 6

6.0 विविध

6.1.1 (अ) उपरोक्त प्रभारों में किसी प्रकार का कर सम्मिलित नहीं किया गया है जिसका भुगतान किसी उपभोक्ता द्वारा प्रचलित किसी विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित हो ।

(ब) इन विनियमों के अन्तर्गत संग्रह किये गये निम्न प्रभारों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पृथक लेखा के अन्तर्गत संधारित किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पृथक लेखे की निधि का उपयोग वितरण/अति उच्च दाब प्रणाली के आवर्धन और/या नवीन वितरण/अति उच्च दाब प्रणाली के सृजन में किया जाए । इसका सत्यापन सांविधिक अंकेक्षकों (Statutory Auditors) द्वारा किया जाएगा तथा इस उपबंध के परिपालन अथवा अन्य प्रकार से इसे वार्षिक वित्तीय विवरण–पत्रों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा :

(i) विनियम 4.1.2, 4.2.2 (स) 4.2.4, 4.2..5 तथा 4.3.2 में दर्शायें गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) ।

(ii) विनियम 4.1.1, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3 (अ) तथा (ब) 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.2 तथा 4.6.1 (पर्यवेक्षण प्रभारों को छोड़कर) में दर्शाई गई अधो संरचना/विद्युतीकरण की लागत ।

(स) इन विनियमों के अन्तर्गत, उपरोक्त दर्शाये गये भागों के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये प्रभारों/लागतों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखा–पुस्तकों में पृथक से दर्शाया जाए । इन्हें निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु वसूल की गई लागत के रूप में माना जाएगा तथा इनका लेखांकन संव्यवहार उसी प्रकार किया जाएगा जेसा कि वह उपभोक्ताओं के अंशदान के माध्यम से संपादित कार्यों के लिये किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत निर्देशों की अधिसूचना पृथक से जारी की जाएगी ।

(द) भार को किलोवाट (KW) से केवीए (KVA) में परिवर्तन हेतु निम्न कारक को प्रयोग किया जा सकेगा ।

(i) किलोवाट (KW) = 0.8 x केवीए (KVA) (निम्न दाब संयोजनों हेतु)

(ii) किलोवाट (KW) = 0.9 x केवीए (KVA) (अति उच्चदाब/उच्च दाब संयोजनों हेतु (निम्न दाब संयोजनों हेतु)

6.1.2. **कठिनाईयां दूर करने संबंधी शक्ति :**

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो इस हेतु आयोग उसे प्रभाव दिये जाने हेतु कोई सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी कर सकेगा ।

6.1.3 **आदेशों को जारी करना तथा व्यावसायिक निर्देश :**

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों तथा इन विनियमों के अध्यधीन, आयोग समय–समय पर आदेश तथा व्यावसायिक निर्देश इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका परिपालन किया जाना है, जारी कर सकेगा ।

6.1.4 संशोधन के अधिकार :

6.1.4.1 आयोग किसी भी समय इन विनियमों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा । किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु उपरोक्त प्रभारों में आयोग की अनुमति के बिना परिवर्तन किये जाने की अनुमति नहीं है । आयोग की अनुमति के बिना किसी भी आदेश को शून्य और अप्रवृत्त माना जाएगा ।

6.1.4.2 इन विनियमों के उपबंध उपभोक्ता को लागू होंगे, भले ही इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता तथा अन्य विनियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो ।

6.1.5 निरसन तथा व्यावृत्ति

6.1.5.1 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे आदेश जारी करने की अन्तर्भूत शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जावेगा जो न्यायदान हेतु या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों।

6.1.5.2 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे प्रक्रियाएं अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों से भिन्न हों किन्तु विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुकूल हों तथा यदि आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक एवं उचित समझे।

6.1.5.3 इन विनियमों में कुछ भी प्रत्यक्ष या अंतरनिहित रूप से किसी विषय के निर्वहन या विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) के अंतर्गत प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग से आयोग को नहीं रोकेगा जिनके लिए पृथक से विनियम नहीं बनाए गये हैं तथा आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों एवं कार्यो पर ऐसे तरीके से कार्यवाही कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

6.1.5.4 मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 24.11.2006 को अधिसूचित ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2006'' सहपठित विषयवस्तु से संबंद्ध समस्त प्रयोज्य संशोधनों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

टीप : इस **''विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009''** के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा. आयोग सचिव